23-2-21	श्री बिनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी जीवाराम देवासी पुत्र अचलाराम, जाति– देवासी, निवासी– उत्तरा भागली, पोस्ट– पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, निम्बेश्वर महोदव मावा भण्डार, उत्तरा भागली, कलदरी, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी ने इस प्रकरण की पत्रावली को आज ही सुनवाई हेतु रखें जाने का अनुरोध किया। जिस पर इस प्रकरण की पत्रावली आज सुनवाई हेतु रखी गई। प्रतिवादी जीवाराम देवासी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 26.10.2020 को जिस मावा का नमूना जांच हेतु

....लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख : हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 12/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

लिया था, वह जांच रिपोर्ट में सब स्टेंडर्ड पाया गया है। गांव के पशुपालकों व मेरी गाय व भैंसों के दूध से मावा तैयार करके बेचता हूं। मैंनें मावे में कुछ नही मिलाया है, फेट कुछ कम आई है। यह मेरी प्रथम गलती है। मैं मावा निकालकर बेचता हूं। अब मैनें पशुपालकों से चैक करके दूध लेना शुरु कर दिय है। मेरी प्रथम गलती माफ करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी जीवाराम देवासी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बिनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2020 को थानाधिकारी, पुलिस थाना, पालडी एम. की सूचना पर पुलिस थाना पालडी एम. पँहुचे, जहां पर अमानक मावा बिक्री के सन्देह में मावा विक्रेता जीवाराम देवासी पुत्र अचलाराम, जाति– देवासी, निवासी– उत्तरा भागली, पोस्ट पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही को लगभग 10 किलोग्राम मावे के साथ बिक्री करते समय पकडकर पुलिस थाने में लाया गया एवं मावे की जांच कराने के उद्देश्य से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति प्रतिवादी जीवाराम देवासी पुत्र अचलाराम, जाति– देवासी, निवासी– उत्तरा भागली, पोस्ट पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, निम्बेश्वर महादेव मावा भण्डार, उत्तरा भागली, कलदरी, जिला– सिरोही है, जो आम जनता को खोया का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ खोया के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए पुलिस थाने में प्लास्टीक बैंग में रखे मावे को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एकरुप किये गये मावे में से एक किलोग्राम खोया को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ सूखे खाली [illegible] में [illegible] उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर [illegible] अधिकारी कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ खोया के नमूना संख्या S-1[illegible] की जांच

लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 12/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./535/Act/2020/535 दिनांक 29.10.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जीवाराम देवासी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी जीवाराम देवासी पुत्र अचलाराम, जाति– देवासी, निवासी– उत्तरा भागली, पोस्ट पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म निम्बेश्वर महोदव मावा भण्डार, उत्तरा भागली, कलदरी, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 9,000/– (अक्षरे रुपये नौ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी जीवाराम देवासी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10.3.2021 को पेश हो।

23/2/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:38 IST
Reason: SelfAttested